

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 199/2019

निर्णय दिनांक :-24.02.2021

उनवानी दावा :

1. महावीर पुत्र स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. ऐवराज पुत्र स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सन्तरा स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. पुष्पा पत्नि स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. श्रवणी पुत्री स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

— वादीगण —

बनाम

1. माना पुत्र देवीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. काली देवी पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक
4. देवलाल पुत्र भोलूराम गुर्जर निवासी श्रीनगर पोस्ट निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

— प्रतिवादीगण —

उपस्थिति :-

श्री राजेश जैन

अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अरविन्द कुमार

अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध

प्रतिवादी संख्या 2

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 17.08.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली द्वारा बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना रही कि



कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2073-76 वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का निवारिया भू. अभि. नि. क्षेत्र पोल्याड़ा तहसील देवली के खाता संख्या 31 में दर्ज ख. नं. 27/169 रकबा 0.19 है0 व खाता संख्या 30 ख. नं. 27 रकबा 1.27 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	देवलाल पुत्र भोलूराम कौम गुर्जर सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	27/169	0.09	बारानी 3	0.22
		27	0.43	बारानी 3	1.04
	योग	किता 2	0.52	—	1.26
2	महावीर एवराज पुत्र सन्तरा श्रवणी पुत्रियां पुष्पा पत्नी मांगीलाल कौम माली सा. देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा देवली श्रवणी के हिस्से को छोड़कर नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	27/169	0.10	बारानी 3	0.24
		27	0.86	बारानी 3	2.06
	योग	किता 2	0.96	—	2.30

10. 20

3	काली देवी पत्नी जगदीश कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा देवली श्रवणी के हिस्से को छोड़कर नक्शा ट्रेस में कालें रंग से दर्शित	27	0.43	बारानी 3	1.03
	योग	किता 1	0.43	—	1.03

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार दूनी उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्रीडिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक

उनवानी दावा :-

1. महावीर पुत्र स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. ऐवराज पुत्र स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सतन्तरा स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. पुष्पा पत्नि स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. श्रवणी पुत्री स्व. मांगीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

- वादीगण -

बनाम

1. माना पुत्र देवीलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी श्रीनगर पो0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. काली देवी पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक
4. देवलाल पुत्र भोलूराम गुर्जर निवासी श्रीनगर पोस्ट निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 199 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री अरविन्द कुमार प्रतिवादी संख्या 1 व 4 व एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2073-76 वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का निवारिया भू. अभि. नि. क्षेत्र पोल्याड़ा तहसील देवली के खाता संख्या 31 में दर्ज ख. नं. 27/169 रकबा 0.19 है0 व खाता संख्या 30 ख. नं. 27 रकबा 1.27 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार देवली की कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

D. 24

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	देवलाल पुत्र भोलूराम कौम गुर्जर सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	27 / 169	0.09	बारानी 3	0.22
		27	0.43	बारानी 3	1.04
	योग	किता 2	0.52	—	1.26
2	महावीर एवराज पुत्र सन्तरा श्रवणी पुत्रियां पुष्पा पत्नी मांगीलाल कौम माली सा. देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा देवली श्रवणी के हिस्से को छोड़कर नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	27 / 169	0.10	बारानी 3	0.24
		27	0.86	बारानी 3	2.06
	योग	किता 2	0.96	—	2.30
3	काली देवी पत्नी जगदीश कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी शाखा देवली श्रवणी के हिस्से को छोड़कर नक्शा ट्रेस में काले रंग से दर्शित	27	0.43	बारानी 3	1.03
		योग	थकता 1	0.43	—

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना
 आज की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।

११.१२

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 02 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त 

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रु.	पै.	मुद्दायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।